संख्या– 1294 /26–2–2010–3मु0स0/2010

प्रेषक,

प्रेम नारायण,
प्रमुख सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी, उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक : 26 अप्रैल, 2010**

विषयः **उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर अपने पत्रांकः 235/पी–14/लेखा/उ0प्र0मु0मं0म0ग0 आ0म0यो0/2010–11 दिनांक 16 अप्रैल, 2010 का संदर्भ ग्रहण करें। आपके पत्र में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में निम्न प्रकार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा हैः–

(1) यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी/एन0जी0ओ0/निजी संगठनों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी है, तो इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण के समय ग्राम में आस–पास रहने वाले तमाम व्यक्ति बतायेंगे तथा परिवार के सर्वेक्षण के समय परिवार के अन्य सदस्य भी सामान्यतः बता देंगे। यदि कोई इस आशय की जानकारी छिपाता है तो ग्रामसभा की खुली बैठक में उसका उद्घाटन हो जायेगा। फिर गलत सूचना देने के आधार पर यदि कोई किसी प्रकार का लाभ अर्जित करता है, तो उसके विरूद्ध कभी भी कार्यवाही की जा सकती है। आशा यह भी की जाती है कि ग्राम स्तरीय सरकारी कर्मचारीगण, जिन्हें नियमानुसार ग्राम में ही निवास करना होता है यथा लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी आदि को ग्राम के अधिकतर लोगों के बारे में जानकारी होती है एवं रहनी चाहिए। यदि इस सम्बन्ध में उनके द्वारा गलत सर्वे होता है, तो इसमें उनकी मिलीभगत मानी जा सकती है।

जहाँ तक परिवार के किसी ऐसे सदस्य, जो इनकम टैक्स देता है, से सम्बन्धित बिन्दु के बारे में अवगत कराना है कि सर्वेक्षण के समय परिवार के मुखिया को ही इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी देनी है। यदि वह नहीं देता है, तो इसका उद्घाटन ग्रामसभा की खुली बैठक में हो सकता है। सर्वेक्षण में इसके लिए शासनादेश संख्या–1123/26–2–2010–3मु0स0/2010, दिनांक 09 अप्रैल, 2010 द्वारा एक कालम बढ़ाया गया है, अतः इसमें वह जो भी उत्तर देता है, उसके हिसाब से वह भरा जायेगा। यदि वह उत्तर गलत पाया जाता है, तो बाद में उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। कोई व्यक्ति आयकर नहीं देता है, तो इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, उसका कथन ही पर्याप्त है। यदि बाद में उक्त कथन/सूचना ग्रामसभा की खुली बैठक में अथवा बाद में अन्य किसी आपत्ति के तहत गलत पाई जाती है, तो उस व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है तथा सही सूचना का प्रयोग किया जा सकता है।

(2) ऐसे परिवार जो गृह/आश्रय विहीन हों तथा उसी ग्राम के निवासी हों, को स्वतः सम्मिलित माने जाने के निर्देश दिये गये हैं। सामान्य अवधारणा यही है कि

ऐसा परिवार प्रस्तर–4 व 5 से आच्छादित नहीं होगा, किन्तु यदि किसी भी दशा में आच्छादित पाया जाता है, तो उसे कदापि सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मूल सिद्धांत इसे रखा गया है कि जो परिवार योजना से प्रस्तर–4 व 5 के अनुसार बाहर रखने योग्य हैं, उन्हें प्रत्येक दशा में बाहर रखा जायेगा।

(3) छावनी बोर्ड झांसी एवं बबीना में जो सिविल परिवार निवास करते हैं, उन्हें भी सर्वे में सम्मिलित किया जायेगा, बशर्ते वे स्थानीय निवासी हों तथा उनके पास वोटर पहचान पत्र हो।

(4) जहाँ तक किराये पर निवास करने वाले परिवारों का प्रश्न है, उनका भी सर्वे किया जायेगा, बशर्ते स्थानीय निवासी हों तथा उनके पास भी स्थानीय वोटर पहचान पत्र हो।

भवदीय,

(प्रेम नारायण)
प्रमुख सचिव एवं
समाज कल्याण आयुक्त।